भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 2609

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक)

पन्द्रहवें और सोलहवें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्यों को जारी धनराशि

2609. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पन्द्रहवें और सोलहवें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई धनराशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन वित्त आयोगों के अंतर्गत आज तक शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए विशेष रूप से आवंटित और जारी की गई कुल धनराशि राज्यवार कितनी है;

(ग) क्या वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के बाद राज्यों को अंतर-सरकारी हस्तांतरण में कमी आई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए मौजूदा आत्मनिर्भर तंत्र के अलावा अतिरिक्त राजस्व स्रोत उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(**क**)**:** केन्द्र सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक की अधिनिर्णय अवधि के लिए 15वें वित्त्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। 16वें वित्त्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि 01 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ होगी। 15वें वित्त्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि में राज्य एवं वर्ष-वार राज्यों को जारी धनराशि का ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

(ख): 15वें वित्त्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए राज्य-वार आवंटित और जारी की गई धनराशि क्रमश: अनुबंध (।।-क) और (।।-ख) में दी गई है।

(ग): केन्द्र सरकार ने राज्यों के लिए कर अंतरण और सहायता अनुदान हेतु 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। राज्यों के राजस्व और व्यय का आकलन करते समय, आयोग ने राज्यों को किए गए अंतरण की गणना के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) सहित सभी कारकों को ध्यान में रखा है। वर्तमान में, 15वें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अंतर-सरकारी अंतरण किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने सूचित किया है कि उन्होंने आत्म निर्भर भारत अभियान, एएमआरयूटी 2.0 जैसी विभिन्न स्कीमों तथा पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत प्रोत्साहन के अंतर्गत अपने संपत्ति कर और उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह में वृद्धि करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को प्रोत्साहित किया है।

*****

अनुबंध-I

"15वें और 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई धनराशि" के संबंध में 17 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 2609 के भाग (क) उत्तर में संदर्भित अनुबंध					
15वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि में राज्यों को जारी की गई धनराशि					
					(रु. करोड़ में)
	राज्य का नाम	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
0	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	21342.43	13174.27	9640.84	3989.72
2	अरुणाचल प्रदेश	439.69	210.40	220.80	320.57
3	असम	8916.05	7605.00	5599.23	1236.75
4	बिहार	8116.52	6732.65	7662.52	6041.53
5	छत्तीसगढ़	2379.79	1772.80	1770.90	1338.35
6	गोवा	119.55	54.20	10.80	78.68
7	गुजरात	5002.42	5304.63	5257.89	1977.11
8	हरियाणा	1493.43	1620.75	1973.33	1739.48
9	हिमाचल प्रदेश	11044.26	10703.96	9525.41	7429.55
10	झारखंड	2318.80	1826.59	2378.28	1154.30
11	कर्नाटक	7862.34	4435.08	3768.62	6004.42
12	केरल	22171.13	15382.30	7245.69	2387.87
13	मध्य प्रदेश	5946.40	5494.77	7028.14	4056.58
14	महाराष्ट्र	8748.90	9968.16	8815.73	6039.15
15	मणिपुर	2674.38	2387.70	2122.80	1763.15
16	मेघालय	1494.65	1144.70	775.20	222.09
17	मिजोरम	1910.29	1685.50	1635.90	1205.36
18	नागालैंड	4763.51	4737.00	4534.80	4316.31
19	उड़ीसा	5056.77	4220.80	4867.22	5093.53
20	पंजाब	12435.61	10258.45	7388.82	4192.22
21	राजस्थान	17210.67	10521.20	5590.55	4643.70
22	सिक्किम	852.71	528.20	323.26	360.28
23	तमिलनाडु	10116.77	5791.68	6250.76	4500.71
24	तेलंगाना	1850.93	3359.39	2924.42	1208.96
25	त्रिपुरा	4911.08	4654.90	4577.16	4339.78
26	उत्तर प्रदेश	12306.42	12383.74	14837.44	14529.07
27	उत्तराखंड	9424.10	8501.24	8050.20	5846.72
28	पश्चिम बंगाल	23867.47	19824.48	14614.37	6733.18
	कुल	**214777.05**	**174284.53**	**149391.05**	**102749.11**

*10.03.2025 तक जारी की गई धनराशि

<u>**अनुबंध-II(क)**</u>

"15वें और 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई धनराशि" के संबंध में 17 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 2609 के भाग (ख) उत्तर में संदर्भित अनुबंध

15वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि में शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को आवंटित और जारी की गई की गई धनराशि

(रु. करोड़ में)

क्र.सं..	राज्य का नाम	**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25***	
		आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	956.00	1157.35	990.00	735.75	1046.00	984.55	1109.00	305.05
2	अरुणाचल प्रदेश	84.00	0.00	87.00	0.00	92.00	0.00	97.00	55.50
3	असम	584.00	309.80	605.00	588.20	640.00	597.23	677.00	491.73
4	बिहार	1827.00	836.25	1892.00	1552.35	2001.00	2256.50	2119.00	1759.41
5	छत्तीसगढ़	530.00	534.00	549.00	477.20	580.00	373.50	614.00	119.85
6	गोवा	27.00	13.50	28.00	13.50	30.00	0.00	32.00	14.00
7	गुजरात	1163.00	1133.00	1205.00	350.51	1274.00	1243.99	1349.00	643.89
8	हरियाणा	461.00	199.75	477.00	394.00	504.00	199.48	534.00	139.36
9	हिमाचल प्रदेश	156.00	129.75	162.00	240.00	171.00	158.04	181.00	86.55
10	झारखंड	615.00	595.50	637.00	441.94	674.00	166.00	713.00	0.00
11	कर्नाटक	1171.00	890.00	1213.00	737.70	1282.00	727.40	1358.00	639.97
12	केरल	592.00	336.00	613.00	604.00	649.00	400.36	687.00	377.49
13	मध्य प्रदेश	1450.00	1131.10	1502.00	948.85	1588.00	1054.54	1682.00	399.12
14	महाराष्ट्र	2121.00	1322.00	2197.00	1638.84	2323.00	1304.50	2461.00	494.72
15	मणिपुर	64.00	0.00	67.00	42.50	71.00	0.00	75.00	0.00
16	मेघालय	66.00	0.00	69.00	44.00	73.00	33.00	77.00	0.00
17	मिजोरम	34.00	17.00	35.00	17.00	37.00	35.00	39.00	18.50
18	नागालैंड	45.00	0.00	47.00	15.00	50.00	37.50	53.00	0.00
19	उड़ीसा	822.00	822.00	851.00	851.00	900.00	846.66	953.00	399.11
20	पंजाब	505.00	493.75	523.00	418.25	553.00	375.66	586.00	347.58
21	राजस्थान	1406.00	1376.00	1456.00	1113.44	1540.00	1005.01	1631.00	412.43
22	सिक्किम	15.00	17.50	16.00	7.50	17.00	8.00	18.00	0.00
23	तमिलनाडु	1313.00	1608.25	1360.00	1061.70	1438.00	1613.72	1523.00	507.17
24	तेलंगाना	672.00	391.03	697.00	653.90	737.00	915.44	780.00	269.44
25	त्रिपुरा	70.00	72.00	72.00	21.00	76.00	148.00	81.00	81.00
26	उत्तर प्रदेश	3550.00	1761.25	3677.00	3477.82	3888.00	4996.24	4118.00	3782.22
27	उत्तराखंड	209.00	146.30	217.00	171.20	229.00	220.72	243.00	107.15
28	पश्चिम बंगाल	1606.00	854.25	1664.00	1162.10	1759.00	1522.00	1863.00	471.24
	कुल	**22114.00**	**16147.33**	**22908.00**	**17779.25**	**24222.00**	**21223.04**	**25653.00**	**11922.46**

*10.03.2025 तक जारी की गई धनराशि

अनुबंध-II(ख)

"15वें और 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई धनराशि" के संबंध में 17 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 2609 के भाग (ख) उत्तर में संदर्भित अनुबंध

15वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को आवंटित और जारी की गई की गई धनराशि

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25*	
		आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	1939.00	969.50	2010.00	948.35	2031.00	3974.19	2152.00	2109.97
2	अरुणाचल प्रदेश	170.00	142.75	177.00	0.00	179.00	0.00	189.00	85.00
3	असम	1186.00	1186.00	1228.00	1228.00	1241.00	1241.00	1315.00	0.00
4	बिहार	3709.00	3709.00	3842.00	3842.00	3884.00	3852.41	4114.00	2814.82
5	छत्तीसगढ़	1075.00	1075.00	1114.00	1114.00	1125.00	1125.00	1192.00	1185.25
6	गोवा	55.00	65.00	57.00	27.50	58.00	0.00	62.00	57.08
7	गुजरात	2362.00	1181.00	2446.00	3627.00	2473.00	2473.00	2619.00	0.00
8	हरियाणा	935.00	467.50	968.00	660.96	979.00	1340.25	1036.00	1084.38
9	हिमाचल प्रदेश	317.00	158.50	329.00	487.50	332.00	118.51	352.00	428.71
10	झारखंड	1249.00	624.50	1293.00	1271.00	1307.00	1300.00	1385.00	653.50
11	कर्नाटक	2377.00	2375.50	2463.00	2093.55	2490.00	2086.59	2637.00	1120.73
12	केरल	1203.00	1203.00	1246.00	1246.00	1260.00	1260.00	1334.00	1334.00
13	मध्य प्रदेश	2944.00	1472.00	3050.00	2387.00	3083.00	3529.59	3265.00	1424.65
14	महाराष्ट्र	4307.00	3014.90	4461.00	4719.06	4510.00	3699.78	4776.00	1778.76
15	मणिपुर	131.00	65.50	135.00	0.00	137.00	0.00	145.00	0.00
16	मेघालय	135.00	91.00	140.00	40.50	141.00	0.00	149.00	27.00
17	मिजोरम	69.00	34.50	71.00	0.00	72.00	70.00	76.00	35.50
18	नागालैंड	92.00	108.50	96.00	46.00	97.00	0.00	102.00	0.00
19	उड़ीसा	1669.00	1669.00	1728.00	1728.00	1747.00	1746.91	1851.00	1851.00
20	पंजाब	1026.00	1065.20	1062.00	1051.20	1074.00	799.76	1138.00	1140.12
21	राजस्थान	2854.00	3819.50	2957.00	2955.34	2989.00	2795.94	3166.00	1933.86
22	सिक्किम	31.00	31.00	33.00	33.00	33.00	23.07	35.00	42.27
23	तमिलनाडु	2666.00	4116.23	2761.00	2761.00	2791.00	2791.00	2957.00	1478.50
24	तेलंगाना	1365.00	682.50	1415.00	2097.50	1430.00	1424.18	1514.00	0.00
25	त्रिपुरा	141.00	141.00	147.00	147.00	148.00	103.60	157.00	122.90
26	उत्तर प्रदेश	7208.00	7208.00	7466.00	7466.00	7547.00	7547.00	7994.00	7994.00
27	उत्तराखंड	425.00	418.70	440.00	307.44	445.00	442.54	471.00	368.27
28	पश्चिम बंगाल	3261.00	3217.02	3378.00	3292.85	3415.00	3515.83	3617.00	3500.52
	कुल	**44901.00**	**40311.80**	**46513.00**	**45577.75**	**47018.00**	**47260.15**	**49800.00**	**32570.79**

*10.03.2025 तक जारी की गई धनराशि